



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102026-277047
CG-DL-E-10102026-277047

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5328]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2026/आश्विन 16, 1948

No. 5328]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2026/ASVINA 16, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5540(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3677(E) तारीख 07/07/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग अहमदनगर - सोलापुर - अक्कलकोट- महाराष्ट्र / कर्नाटक सीमा (सोलापुर के लिए स्पर कनेक्टिविटी के साथ) ग्रीनफील्ड संरेखण किमी से 418/800 से कि.मी. 547/000 के भूखण्ड के निर्माण (छह /आठ लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 19/07/2026 को “लोकमत (मराठी) और दैनिक इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग अहमदनगर - सोलापूर - अक्कलकोट- महाराष्ट्र / कर्नाटक सीमा (सोलापूर के लिए स्पर कनेक्टिविटी के साथ) ग्रीनफील्ड संरेखण किमी से 418/800 से कि.मी. 547/00 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सोलापूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बारशी					
गांव का नाम: कासारवाडी					
1	317	निजी (,)	एग्रीकल्चर	1.13	शशिकांत पुरषोत्तम देशमुख, रजनी सर्वोत्तम देशमुख, शालिनी अरुण देशमुख
2	328	निजी (,)	एग्रीकल्चर	0.39	आनंदीबाई श्रीनिवास बेदरकर, दिनकरराव किसनराव पाडळकर, अर्चना अनिल जोशी, माधव दिनकर पाडळकर, चित्रा मोहन सुभेदार, मनीषा संजय पाटील, शमा श्रीनिवास बेदरकर, मिलिंद दिनकर पाडळकर
गांव का नाम: घाणेगाव					
3	573	निजी (,)	एग्रीकल्चर	0.1	सौदागर दादा जाधव, राणी अजित जाधव
Total				1.62	

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP/LA/AD-2021-22/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2026

S.O. 5540(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **3677(E) Dated:07/07/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (Six/Eight-laning etc.), maintenance management and operation of National Highway, in the stretch of land for newly proposed Ahmednagar - Solapur - Akkalkot- MH/KN Border (Including Spur Connectivity to Solapur Town) Greenfield alignment from Km. 418/800 to Km. 547/00 (Maharashtra Section) in Solapur District in the State of Maharashtra

And whereas the substance of the said notification has been published in “Daily Lokmat” and “The Indian Express” both dated 19/07/2026; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land for the newly proposed Ahmednagar - Solapur - Akkalkot- MH/KN Border (Including Spur Connectivity to Solapur Town) Greenfield alignment from Km. 418/800 to Km. 547/00 in Solapur District in the State of Maharashtra

State: MAHARASHTRA			District: SOLAPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Barshi					
Village: Kasarwadi					
1	317	Private (.)	Agriculture	1.13	Shashikant Purshottam Deshmukh, Rajani Sarvottam Deshmukh, Shalini Arun Deshmukh
2	328	Private (.)	Agriculture	0.39	Anandibai Shrinivas Bedarkar, Dinkarrao Kisanrao Padalkar, Archana Anil Joshi, Madhav Dinkar Padalkar, Chitra Mohan Subhedar, Manisha Sanjay Patil, Shama Shrinivas Bedarkar, Milind Dinkar Padalkar
Village: Ghanegaon					
3	573	Private (.)	Agriculture	0.1	Saudagar Dada Jadhav, Rani Ajit Jadhav
Total				1.62	

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/AD-2021-22/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director